Nai Dunia (Indore), 10th September 2015, Page – 05

रोड़ा बनी आईआईटी की दीवार

रोजाना हो रहे विवाद, करीब दो हजार से अधिक गांव वाले परेशान

इंदौर। विकास की राह प्रशस्त करने वाले आईआईटी संस्थान की दीवार लोगों की राह का रोड़ा बनी हुई है। मामला सिमरोल में बन रहे आईआईटी परिसर का है जहां रोजाना आम लोगों और आईआईटी के सुरक्षाकर्मियों के बीच कहासुनी हो रही है। गांव वालों ने आईआईटी कर्मियों के इस व्यवहार की शिकायतें पुलिस से लेकर प्रशासन तक से की हैं, लेकिन कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल लोगों के घरों तक पहुंचने वाला रास्ता आईआईटी परिसर से होकर जाता है और अब तक स्थानीय प्रशासन दोनों की हदबंदी नहीं कर पाया है।

नए बन रहे आईआईटी भवन के पास सिमरोल गांव की एक बस्ती भी आती है, जिसका रास्ता संस्थान के परिसर से होता हुआ जाता है। इस बस्ती के करीब दो हजार से अधिक लोगों को आईआईटी के कारण अपने ही घरों, खेतों, बाजारों और यहां तक की श्मशान भी जाने के लिए आईआईटी के गेट नंबर एक और दो से होकर ही जाना होता है।

ये इन गांव वालों का पुराना रास्ता है और आईआईटी बनाने की योजना के बाद प्रशासन अब तक इन्हें कोई अलग रास्ता उपलब्ध नहीं करा पाया है। लिहाजा गांव वाले आने-जाने के लिए इन्हीं गेट पर निर्भर हैं।

आईआईटी केरास्तों पर लगे हैं बैरीकेड्स, ग्रामीणों को होती है परेशानी।

विवाद के कारण

जहां पहले गांव वालों के लिए यह रास्ता उनका अपना आम रस्ता था, अब वहीं एक राष्ट्रीय संस्थान की सुरक्षा के लिए बेरीकेड्स लगा दिए गए हैं, जहां करीब 15-20 गार्ड ज्यादातर समय मौजूद रहते हैं। लोगों को हर बार यहां से गुजरने पर आवाजाही की एंट्री करनी होती है। वहीं बार-बार गुजरने पर सुरक्षा गार्ड भी उन्हें टोकते हैं और यह सब मिलकर अक्सर विवाद का कारण बनता है।क्षेत्र में इसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। गांव वालों ने एकत्र होकर कई बार प्रशासन से आईआईटी के रवैये के खिलाफ शिकायत की तो वहीं संस्थान की ओर से गांव वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। स्थानीयों की मानें तो दिन में कई बार होने वाले ये छुटपुट विवाद कभी बड़े झगड़े का कारण भी बन सकते हैं। पुलिस भी इससे पूरी तरह इंकार नहीं करती है।

प्रशासन की लापरवाही

यहां के कैलाश अग्निहोत्री बताते हैं कि मामला हाईकोर्ट में है। यहां प्रशासन से पुराने रास्ते के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल परेशानी कुछ न किए जाने की है। नियमों के मुताबिक आईआईटी अपनी हद में किसी को आने देना नहीं चाहता, वहीं रहवासियों की जमीन-जायदाद के लिए प्रशासन अब तक कोई रास्ता नहीं दे पाया है।

नए विवाद की जानकारी नहीं

देखिए रास्ते को लेकर कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन हमें फिलहाल किसी नए विवाद की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं जानकारी लेकर बात कर सकूंगी।

-डॉ. निर्मला मेनन, पीआरओ, आईआईटी इंदौर

पेश करना है शपथ पत्र

देखिए हमें 11 तारीख को कोर्ट में प्रशासन की ओर से शपथ पत्र पेश करना है कि ये रास्ता ग्रामीण कब से उपयोग कर रहे हैं। अब फैसला माननीय न्यायालय का होगा। **-बजरंग बहादुर सिंह, प्रभारी तहसीलदार महू**